



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092026-276153
CG-DL-E-12092026-276153

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4792]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4792]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4982(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में NH561 के कि.मी. 86.3 से कि.मी.125.589 (उपविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय पाटोदा, तहसील कार्यालय परिसर जिला - बीड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी (महसूल) आणि भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में NH561 के कि.मी. 86.3 से कि.मी.125.589 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: बीड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पाटोदा					
गांव का नाम: पारनेर					
1	382/1	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.0664 (हेक्टेयर)	0.0664
2	382/2	निजी	(शुष्क)	0.189 (हेक्टेयर)	0.189
गांव का नाम: सौताडा					
3	73/2	निजी	(डीआर्वाइ)	0.37 (हेक्टेयर)	0.37
गांव का नाम: धनगर जावळका					
4	109/1	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.036 (हेक्टेयर)	0.036
5	109/2	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
गांव का नाम: उखंडा पिठी					
6	39	निजी	शुष्क	0.834 (हेक्टेयर)	0.834
7	41	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.878 (हेक्टेयर)	0.878
गांव का नाम: पिठी					
8	115	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.394 (हेक्टेयर)	0.394
9	116	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.655 (हेक्टेयर)	0.655
10	118	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.068 (हेक्टेयर)	0.068
11	119	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
12	120	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
13	121	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.076 (हेक्टेयर)	0.076

14	135	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
15	136	निजी	एग्रीकल्चर (डीआरवाइ)	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
16	137	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
17	139	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.0468 (हेक्टेयर)	0.0468
18	164	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
19	35	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
20	36	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
21	361	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.144 (हेक्टेयर)	0.144
22	362	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.163 (हेक्टेयर)	0.163
23	37	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.059 (हेक्टेयर)	0.059
24	38	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.051 (हेक्टेयर)	0.051
25	39	निजी	एग्रीकल्चर ()	0.0564 (हेक्टेयर)	0.0564
26	40	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
27	41	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.101 (हेक्टेयर)	0.101
28	42	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.086 (हेक्टेयर)	0.086
29	43	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
गांव का नाम: नायगाव मयूर					
30	1	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
31	104/487,486,488,503,506,507	निजी	एग्रीकल्चर (डीआरवाइ)	0.404 (हेक्टेयर)	0.404
32	105/380	निजी	एग्रीकल्चर (डीआरवाइ)	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
33	111	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
34	2	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
35	257	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
36	258	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
37	262	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
38	27/59,58	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
39	28/60	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.059 (हेक्टेयर)	0.059
40	29/66,67,68,69,74,75,76,77	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.17 (हेक्टेयर)	0.17
41	31/72,73	निजी	एग्रीकल्चर (शुष्क)	0.269 (हेक्टेयर)	0.269
42	319	निजी	शुष्क	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
43	32/257,264,256	निजी	एग्रीकल्चर (डीआरवाइ)	0.251 (हेक्टेयर)	0.251
44	323	निजी	शुष्क	0.019 (हेक्टेयर)	0.019
45	324	निजी	शुष्क	0.045 (हेक्टेयर)	0.045

46	50	निजी	शुष्क	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
47	51	निजी	शुष्क	0.262 (हेक्टेयर)	0.262
48	52	निजी	शुष्क	0.061 (हेक्टेयर)	0.061
49	53	निजी	शुष्क + कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
50	54	निजी	शुष्क + कृषि	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
51	56	निजी	शुष्क	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
52	57	निजी	शुष्क	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
53	70	निजी	शुष्क + कृषि	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
54	71	निजी	शुष्क + कृषि	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
55	82	निजी	कृषि	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
56	83	निजी	कृषि	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
Total					7.2496

[फा. सं. NH-561-MAH-2023-24-69/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4982(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH561 in the stretch of land from Km. 86.3 to Km. 125.589 (Sub Divisional officer (Revenue) & Land Acquisition officer, office of the Sub Divisional officer (Revenue) Patoda , Tahsil office Campus District – Beed) in the district of BEED in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO(Revenue)&LAOfficer,Patoda in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH561 in the stretch of land from Km. 86.3 to Km. 125.589 (Sub Divisional officer (Revenue) & Land Acquisition officer, office of the Sub Divisional officer (Revenue) Patoda , Tahsil office Campus District – Beed) in the district of BEED in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: BEED		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Patoda					
Village: Parner					
1	382/1	Private	Agriculture (DRY)	0.0664 (Hectare)	0.0664
2	382/2	Private	(DRY)	0.189 (Hectare)	0.189
Village: Sautada					
3	73/2	Private	Agriculture (DRY)	0.37 (Hectare)	0.37
Village: Dhangar Jawalka					
4	109/1	Private	Agriculture (DRY)	0.036 (Hectare)	0.036
5	109/2	Private	Agriculture ()	0.027 (Hectare)	0.027
Village: Ukhanda Pitti					
6	39	Private	Dry	0.834 (Hectare)	0.834
7	41	Private	Agriculture (DRY)	0.878 (Hectare)	0.878
Village: Pithi					
8	115	Private	Agriculture (DRY)	0.394 (Hectare)	0.394
9	116	Private	Agriculture (DRY)	0.655 (Hectare)	0.655
10	118	Private	Agriculture (DRY)	0.068 (Hectare)	0.068
11	119	Private	Agriculture (DRY)	0.056 (Hectare)	0.056
12	120	Private	Agriculture (DRY)	0.055 (Hectare)	0.055
13	121	Private	Agriculture (DRY)	0.076 (Hectare)	0.076
14	135	Private	Agriculture (DRY)	0.07 (Hectare)	0.07
15	136	Private	Agriculture (DRY)	0.12 (Hectare)	0.12
16	137	Private	Agriculture (DRY)	0.003 (Hectare)	0.003
17	139	Private	Agriculture (DRY)	0.0468 (Hectare)	0.0468
18	164	Private	Agriculture (DRY)	0.017 (Hectare)	0.017
19	35	Private	Agriculture (DRY)	0.003 (Hectare)	0.003
20	36	Private	Agriculture (DRY)	0.055 (Hectare)	0.055
21	361	Private	Agriculture (DRY)	0.144 (Hectare)	0.144
22	362	Private	Agriculture (DRY)	0.163 (Hectare)	0.163
23	37	Private	Agriculture (DRY)	0.059 (Hectare)	0.059
24	38	Private	Agriculture (DRY)	0.051 (Hectare)	0.051
25	39	Private	Agriculture ()	0.0564 (Hectare)	0.0564
26	40	Private	Agriculture (DRY)	0.05 (Hectare)	0.05
27	41	Private	Agriculture (DRY)	0.101 (Hectare)	0.101
28	42	Private	Agriculture (DRY)	0.086 (Hectare)	0.086
29	43	Private	Agriculture (DRY)	0.1 (Hectare)	0.1
Village: Naigaon Mayur					
30	1	Private	Agriculture (DRY)	0.035 (Hectare)	0.035
31	104/487,486,488,503,506,507	Private	Agriculture (DRY)	0.404 (Hectare)	0.404
32	105/380	Private	Agriculture (DRY)	0.025 (Hectare)	0.025
33	111	Private	Agriculture (DRY)	0.015 (Hectare)	0.015
34	2	Private	Agriculture (DRY)	0.024 (Hectare)	0.024
35	257	Private	Agriculture (DRY)	0.023 (Hectare)	0.023
36	258	Private	Agriculture (DRY)	0.028 (Hectare)	0.028

37	262	Private	Agriculture (DRY)	0.022 (Hectare)	0.022
38	27/59,58	Private	Agriculture (DRY)	0.4 (Hectare)	0.4
39	28/60	Private	Agriculture (DRY)	0.059 (Hectare)	0.059
40	29/66,67,68,69,74,75,76,77	Private	Agriculture (DRY)	0.17 (Hectare)	0.17
41	31/72,73	Private	Agriculture (DRY)	0.269 (Hectare)	0.269
42	319	Private	Dry	0.012 (Hectare)	0.012
43	32/257,264,256	Private	Agriculture (DRY)	0.251 (Hectare)	0.251
44	323	Private	Dry	0.019 (Hectare)	0.019
45	324	Private	Dry	0.045 (Hectare)	0.045
46	50	Private	Dry	0.02 (Hectare)	0.02
47	51	Private	Dry	0.262 (Hectare)	0.262
48	52	Private	Dry	0.061 (Hectare)	0.061
49	53	Private	Dry + Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
50	54	Private	Dry + Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
51	56	Private	Dry	0.042 (Hectare)	0.042
52	57	Private	Dry	0.1 (Hectare)	0.1
53	70	Private	Dry + Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
54	71	Private	Dry + Agriculture	0.035 (Hectare)	0.035
55	82	Private	Agriculture	0.023 (Hectare)	0.023
56	83	Private	Agriculture	0.035 (Hectare)	0.035
Total					7.2496

[F. No. NH-561-MAH-2023-24-69/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director